

मेजर  
FAX

संख्या- 1आ0प्र0यो0-08 / 2017.....129 / आ0प्र0  
बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार भा0प्र0से0  
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
अरवल।

पटना-15, दिनांक- 6/2/18

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्कीम बजट शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02- बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष -001 निदेशन तथा प्रशासन, मांग संख्या-39, उपशीर्ष -0101-बाढ़ प्रवण जिलों में व्यवस्था, विपत्र कोड-39-2245020010101 में ₹52,000 (बावन हजार रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश-स्वीकृत।

2 यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 115 / आ0प्र0 दिनांक-25.05.2017 के आलोक में आवंटित की जा रही है।

3. इस राशि का व्यय वर्तमान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-02- बाढ़ चक्रवात आदि, लघु शीर्ष -001 निदेशन तथा प्रशासन, मांग संख्या-39, उपशीर्ष -0101-बाढ़ प्रवण जिलों में व्यवस्था, विपत्र कोड-39-2245020010101, विस्तृत शीर्ष 21 -सामग्री और आपूर्ति, विषय शीर्ष -01 सामग्री एवं पूर्तियाँ के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन  
उपशीर्ष-0101-बाढ़ प्रवण जिलों में व्यवस्था

मांग संख्या-39, विस्तृत शीर्ष 21 -सामग्री और आपूर्ति, विषय शीर्ष -01 सामग्री एवं पूर्तियाँ  
(राशि रुपये में)

| क्र0 | जिला | वित्तीय वर्ष<br>17-18 का पूर्व<br>आवंटन | वित्तीय वर्ष 17-18<br>का वर्तमान आवंटन | योग                   | अभ्युक्ति           |
|------|------|---|--|-----------------------|---------------------|
| 1    | अरवल | 0<br>(शून्य)                            | 52,000<br>(बावन हजार)                  | 52,000<br>(बावन हजार) | महाजाल क्रय<br>हेतु |

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक-251 दि0-19.12.17 द्वारा की गई अधियाचना एवं उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5 आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6 आवंटित की गई राशि की निकासी **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। किसी भी स्थिति में राशि की निकासी ए0सी0 विपत्र पर नहीं की जाय।

7. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी

एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।


9. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

10. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैंक्स से विभाग को सूचित किया जाय।


11. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

12. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
अपर सचिव


ज्ञापांक-.....139...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 6/2/18  
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
अपर सचिव


ज्ञापांक-.....139...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 6/2/18  
प्रतिलिपि: जिला कोषागार पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अपर सचिव

ज्ञापांक-.....139...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 6/2/18  
प्रतिलिपि: प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अपर सचिव

ज्ञापांक -.....139...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 6/2/18  
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
अपर सचिव

ज्ञापांक-.....139...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 6/2/18

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अपर सचिव